whole requirement. Therefore, it is not likely to affect us. That is what I have told him. I do not know why he is surprised.

SHRI R. K. MHALGI: The targets fixed by the Planning Commission in respect of energy and steel have been changed even before they have been discussed with the State Governments. The meetings between the Energy and other Ministries have not resulted in any progress in so far as definite increase in production of energy and steel is concerned. May I know, why?

SHRI MORARJI DESAI: Who said this, I do not know. Energy, which was being produced upon only 1400 mw in U.P. now has come to 1800. How does he say that it has not increased? This is the position in all the States practically.

चौधरी बलबीर सिंह : क्या प्रधान मन्त्री जी बतायेंगे कि यह पानी के जो प्रोजेक्टस रुके हैं इनसे जो बिजली पैदा होनी है उनको क्लीयर करने में सरकार क्या स्टैप ले रही है ताकि वह जल्दी क्लीयर हो जायें। और उनसे जो बिजली पैदा होनी है उससे देश को लाभ मिले ?

श्री मोरारजी देसाई : तीन स्टेटों में इसमें कई जगह मतभेद हैं। उस मतभेद का निवारण चल रहा है, कुछ तो हो भी गया है, कुछ हो रहा है। इसमें भी जो काम रुक गया था वह आगे बढ़ेगा ऐसा मेरा विश्वास है।

जूनियर टेक्नीकल असिस्टेंट (हिन्दी) के पद पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की नियुक्ति

*516. श्री राम विलास पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्रालय के नियमों के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद इनके योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में सामान्यतः लगातार तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाये जाते हैं;

(ख) तीन वर्ष की इस अवधि के बीतने पर यदि इन वर्गों में से किसी एक वर्ग के उम्मीदवार मिल जाते हैं, तो क्या इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों को उनका आरक्षण समाप्त किए जाने से पूर्व इन जातियों के लिए परस्पर बदला जा सकता है;

(ग) क्या उनका ध्यान इस बात की ओ दिलाया गया है कि उनके मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित जूनियर टैक्नीकल असिस्टेंट (ऐडवर्टाइजिंग हिन्दी) का पद इन जातियों का योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने पर भी अनारक्षित कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) Vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are treated as reserved for the respective categories, but are inter-changeable only in the third year to which the vacancies are carried forward.

(c) The post in question was reserved for Scheduled Tribes candidate. The question of considering Scheduled Caste candidate for the post did not arise as the vacancy did not fall in the third year of its being carried forward and was thus not inter-changeable.

(d) Does not arise.

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ़ शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन की बात चलती है और जो प्रश्न है इसके जवाब में एक

उम्मीदवार की उम्मीदवारी के तहत लगातार मैं एक वर्ष से इसके पीछे पड़ा हुआ हूं, और मैं आपको डौकूमेंटरी जानकारी देता हूं। यह पहला विज्ञापन निकला है 1976 में और उसका नम्बर है ए12034/9/76/ उस समय में यह पोस्ट रिजर्व नहीं थी। फिर इसी पोस्ट को दुबारा निकाला गया 10-8-77 को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व थी और उस पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए थे, आवेदन-पत्र नहीं किया। एक शैड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवार श्री लक्ष्मण राव ने आवेदन-पत्र दिया था जिसके पास सारी योग्यता थी, लेकिन उसको इंटरव्यू के लिये नहीं बुलाया। फिर 16-8-77 को मैंने सूचना और प्रसारण मन्त्री जी को लिखा, पुन: 25-11-77 को रिमाइन्डर दिया। 7 दिसम्बर को इनके यहां से मेरे पास जवाब आया कि आप इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय से सम्पर्क स्थापित करें। मैंने माननीय प्रधान मन्त्री जी और गृह राज्य मन्त्री जी को लिखा, और उन्होंने जो जवाब भेजा है उसमें कहा है कि :

"अग्रेनीत किये जाने के तीसरे वर्ष की समाप्ति पर, यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से किसी एक भी वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध हों, तो ऐसे आरक्षणों को समाप्त करने से पहले आरक्षणों की इन जातियों में अदला बदली की जा सकती है।"

यह गृह मन्त्री का जवाब आया। उसके बाद उसी पोस्ट के लिये तीसरा विज्ञापन निकला, उसकी संख्या है 47/77, दिनांक 26-11-77 वह पोस्ट शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये सुरक्षित था, लेकिन उस समय भी इंटरव्यू नहीं लिया गया, उस समय लक्ष्मण राम ने इंटरव्यू दिया। चौथी बार फिर उस पोस्ट को डी० ए० वी० पी० 511/85/77 के मुताबिक 6-3-77 को प्रकाशित किया गया और इस बार इस पोस्ट को असुरक्षित कर दिया गया। मैंने इस सम्बन्ध में 6-7-77 को डायरेक्टर जनरल डी० ए० वी० पी० को फोन किया और उनसे कहा कि यह पोस्ट शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के उम्मीदवार के लिये रिजर्वड है और यदि शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के उम्मीदवार नहीं हैं, तो शैड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवार योग्य हैं, तो गृह-मन्त्रालय के आदेश के अनुसार आप इसको शैड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजर्व कर दें। उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ ही पहले आया हूं, इसको दूसरे लोग देखेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की उस पोस्ट पर नियुक्ति हुई है वह अनुसूचित जन-जाति या अनुसूचित जाति के नहीं हैं और उनकी क्वालीफिकेशन बी० ए० पास है और 6 साल का अनुभव है। जिस उम्मीदवार के सम्बन्ध में मैं कह रहा हूं, श्री लक्ष्मण राम के सम्बन्ध में, वह बी० ए० बी० एल० हैं और 8 साल का उसी डिपार्टमेंट में उनका अनुभव है। इतनी सारी क्वालीफिकेशन होने के बावजूद भी इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री को फिर लिखा कि इस तरह की ज्यादती वहां चल रही है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो पोस्ट शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के उम्मीदवार के लिये रिजर्व हो और 3 साल की उसकी अवधि पूरी भी नहीं हुई हो, उस 3 साल की अवधि के भीतर ही उसको असुरक्षित क्यों कर दिया गया? और जिस आदमी को रखा गया, उसे जनरल सीट से क्यों लिया गया जबकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उससे ज्यादा योग्य थे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये अगर कोई स्थान रिजर्वड है तो उसे शड्यूल्ड ट्राइब्ज से बदलकर शड्यूल्ड कास्ट को देने की व्यवस्था 3 साल के बाद होती है, लेकिन उस स्टेज पर

केवल शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये ही रिजर्व है It can be converted only in the third year of carrying forward, not now. मैं आपको बताऊं कि इसके लिये बिल्कुल कठोर नियम डिपार्टमेंट आफ पर्सनल की तरफ से बनाया गया है कि अगर किसी स्थान पर शड्यूल्ड ट्राइब्ज का कैंडीडेट एवेलेबल नहीं है तो क्या करना चाहिये। यहां तक कि शड्यूल्ड ट्राइब्ज की संस्थाओं को लिखा जायेगा कि आप उपलब्ध कराइये, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में मांगा जाता है कि आप हमको उपलब्ध कराइये। जब बिल्कुल ही कहीं से उपलब्ध नहीं होते तो उसके बाद डिपार्टमेंट आफ पर्सोनेल की अनुमति से जनरल एडवरटाइजमेंट कराया जाता है और उसके बाद भी अगर शड्यूल्ड ट्राइब्ज का कैंडीडेट आता है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। यह सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी जब नहीं हुआ तो डी-रिजर्वेशन हुआ, और डी-रिजर्वेशन के बाद भी यदि स्थान रिक्त है तो शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये

that point is carried forward, it is not abolished, and it is carried forward in the third year. After this if still a Scheduled Tribes candidate is not available, then it will be given to a Scheduled Castes candidate.

इसमें गलतफहमी समझने की है। कहीं पर भी किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि वह पोस्ट शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये रिजर्वड थी, उसको डी-रिजर्वेशन कर दिया गया, आप चाहें तो पूरी फाइल मैं आपको दे सकता हूं, आप एक्जामिन कर लीजियेगा। यह पोस्ट 1977 में निकली और अब 1978 है, तो 3 साल कैसे पूरा हो गया ? 1977 में शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये निकली है, 1978 में कहते हैं कि डि-रिजर्वेशन कर दिया गया। जो शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये पोस्ट रिजर्व्ड हो वह अभी भी उसके लिये रिजर्वड है, आपने उस पर किसी की बहाली नहीं की है, और उस पर शड्यूल्ड ट्राइब्ज की ही बहाली करेंगे। अगर 3 साल तक शड्यूल्ड ट्राइब्ज का उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो 3 साल के बाद शड्यूल्ड कास्ट को आप देंगे, यह जवाब दें ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही है, मैंने उत्तर दिया है, लेकिन फिर से वह मुझे कुछ बतायेंगे तो मैं उनको देखूंगा (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने पूछा है कि क्या वह पोस्ट अभी खाली है ?

SHRI L. K. ADVANI: I have already stated that that particular post was dereserved. It has been filled up. But that point has been carried forward.

(Interruptions)

SHRI VASANT SATHE: I think this is a glaring instance of injustice and violation of rules, as has been pointed out by the hon. Member, Shri Ram Vilas Paswan. If this post was reserved for Scheduled Tribes and within three years if you do not get a Scheduled Tribe candidate, then according to the Government, it would be interchangable and open for a Scheduled Caste candidate. The principle is that if there is to be an interchange, it has to be between the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who both belong to backward community. I would like to know how is it that before three years are over, taking advantage of some technicality, you dereserved it and filled it up with a candidate who does not belong either to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and who has lesser qualifications than the Scheduled Caste candidate. If you had to fill it up, why did you not prefer the Scheduled Caste candidate who is duly qualified? How can the Government get away by saying that they deserved it and filled it up with an outsider and yet they are going to carry it forward after it has been dereserved? This is misleading the House.

SHRI L. K. ADVANI: I will explain. In this matter, very strict and detailed instructions have been laid down because... (*Interruptions*) I am willing to have a second look at the whole problem. There is no problem about that. But I would like to make it clear that this inter-changability of a Scheduled Tribe seat to a Scheduled Caste seat is after carrying it forward for three years. But there is no provision saying that before these three years are over, it cannot be deserved because... (*Interruptions*)

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये नियम हम ने नहीं बनाए हैं, ये नियम (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Pasterruptions). Mr. Kachwai, please want, please take your seat now. (*Intake your seat.

SHRI L. K. ADVANI: I have taken due notice of the feelings of this House in this matter.

श्री राम अवधेश सिंह : प्वाइंट आफ आर्डर । एक सवाल के जवाब में प्रधान मंत्री जी कुछ जवाब देते हैं, गृह मंत्री जी कुछ जवाब देते हैं और माननीय मंत्री जी कुछ जवाब देते हैं, यह क्या मामला है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री का कोई जवाब इस पर नहीं हुआ है । आप बैठ जाइए । कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

There is no point of order. (*Interruptions*).

Mr. Kachwai, pleased take your seat.

SHRI L. K. ADVANI: I have taken due notice of the sentiments of the House and will have this matter re-examined. (*Interruptions*).

श्री बागुन सुम्बरुई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह अनुसूचित जन-जाति के लिए रिजर्व्ड था तो माननीय मंत्री महोदय बताएं उन्होंने आदिवासियों की किन किन संस्थाओं को इस के लिए लिखा था कि कैंडीडेट नहीं मिला ? यहां पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति और आदिवासियों के वैलफेयर की एक कमेटी है क्या उस को उन्होंने लिखा या किसी आदिवासी संसद सदस्य को लिखा इस के बारे में ? ...(व्यवधान)...

SHRI L. K. ADVANI: We have recognised some Scheduled Caste and Scheduled Tribes' Associations: I will have to find out which, exactly they are. But due notice was given to all the Associations, and it was advertised in the papers also.

(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, we go to the next question.

Report on plans for improvement of facilities in Calcutta and Haldia Ports

*517. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have asked the authorities of the Calcutta Port to submit a report to Government on their Plans for the improvement of facilities in Calcutta and Haldia during the Sixth Plan period;

(b) if so, whether such a report has since been received by Government;

(c) if so, salient features of the report; and

(d) action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) to (d). The Working Group on Ports constituted in October 1977 made certain recommendations for port development for the period 1978—83. The Planning Commission suggested a review of these recommendations. To facilitate this review, the Major Ports were asked to indicate their revised requirements. In pursuance of this, Calcutta Port Trust has submitted certain proposals